BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
Original Application No. 476/2023

Hriday Narayan Mishra. ……. Applicants

Versus

State of U.P. & Ors. …..Respondents

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPORT IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 26.04.2024, ON BEHALF OF DM BASTI.	1-6
2.	A true copy of the report dated 29.08.2023 is annexed here as **ANNEXURE - 1.**	8-13
3.	A true copy of the notice dated 18.01.2024 with the ADM letter dated 03.02.2024 is annexed here as **ANNEXURE - 2.**	14 - 16
4.	A true copy of the report dated 20.07.2024 is annexed here as **ANNEXURE - 3.**	17 - 27
5.	That a true copy of the Receipt is annexed here as **ANNEXURE - 4.**	28 - 29

THROUGH

Priyanka

PRIYANKA SWAMI
Standing Counsel for SEIAA, UP.
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014
8800656660

DATE : 23.07.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
Original Application No. 476/2023

Hriday Narayan Mishra. ……. **Applicants**

Versus

State of U.P. & Ors. …..**Respondents**

REPORT IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 26.04.2024, ON BEHALF OF DM BASTI.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH :

1. That the present report is being filed before this Hon'ble Tribunal in compliance with the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 26.04.2024 as under:

"1. Vide order dated 06.10.2023 notice was ordered to be served on respondent no. 4 through the District Magistrate, Basti and for this purpose notice issued to it was sent to the District Magistrate, Basti by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.

2. No report was sent by the District Magistrate, Basti on which costs of Rs.10,000/- were imposed on him and he was directed to serve the notice and send his report.

3. Costs have not been deposited and report regarding service has not been sent by him.

4. In these facts and circumstances District Magistrate, Basti is directed to pay costs of Rs. 10,000/- in addition to costs of Rs. 10,000/- imposed vide order dated 09.01.2024. The costs of Rs. 20,000/- be deposited within one month with the National Green Tribunal Bar Association, Principal Bench, New Delhi."

2. That it is pertinent to mention here that in compliance with the order dated 03.08.2023, there were directions to constitute a joint committee comprising of UPPCB and DM, Basti. That the steps to close the illegal brick kilns were taken on 08.08.2023, on 29.08.2024 The final report was made stating that the compliance was done as per the orders. That on 27.12.2023, they did a revisit and inspection for the brick kilns and found them to be closed. A true copy of the report dated 29.08.2024 is annexed here as **ANNEXURE - 1.**

3. That the first notice dated 18.01.2024 was duly delivered by Lekhpal (Anil Raj) to the brick kiln owners and was acknowledged with a notice duly delivered and received by Ashish Shukla, son of Ram Prakash Shukla, the owner of the brick kilns. That on 03.02.2024, the Additional District Magistrate, Basti sent the letter to the District Magistrate, stating the NGT Judicial Order dated 18.01.2024, has been complied with where the notice is sent to the brick kiln owners. A true copy of the notice dated 18.01.2024 with the ADM letter dated 03.02.2024 is annexed here as **ANNEXURE - 2.**
4. That the Hon'ble Tribunal was pleased to pass an order on 26.04.2024, directing and issuing a second notice dated 08.05.2024, directing the DM to ensure that the notice is subsequently served in compliance of the order dated 26.04.2024, to the owner of the brick kilns and confirming the closure of the brick kilns. A report dated 20.07.2024 was prepared on behalf of the District Magistrate, indicating that the notice had been served to the brick kiln owners. That further steps were taken in compliance with the order dated 26.04.2024. A true copy of the report dated 20.07.2024 is annexed here as **ANNEXURE - 3.**

5. That the order passed with specific directions for compliance was not adhered to, resulting in the imposition of a cost of Rs. 10,000/-. Further non-compliance led to an additional cost of Rs. 10,000/- being imposed. The costs of Rs. 20,000/- have been deposited and received by NGT Bar Receipt No. 432. That a true copy of the Receipt is annexed here as **ANNEXURE - 4.**

6. That the delay caused in filing the compliance of the earlier order and payment was not deliberate and intentional. Therefore the avermanent made in this present compliance may be taken on record.

THROUGH

PRIYANKA SWAMI
Standing Counsel for SEIAA, UP.
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014
8800656660

DATE : 23.07.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
Original Application No. 476/2023

Hriday Narayan Mishra. ……. **Applicants**

Versus

State of U.P. & Ors. …..**Respondents**

AFFIDAVIT

I, **Sh. Vijay Kumar Gupta** aged about 36 years s/o Sh. A. K Gupta is presently posted as **Nayab Tehsildar, Basti Tehsil, Sadar, UP. - 275101** having an office at **Nayab Tehsildar, Basti Tehsil, Sadar, Uttar Pradesh - 275101.** Presently at New Delhi

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying report has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ RENU AGARWAL Regd. No. 17806 Delhi

DEPONENT

GOVT. OF INDIA ★ NOTARY ★ RENU AGARWAL Delhi Regd. No. 17806

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this 22 JUL 2024 day of JULY 2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

I identified the deponent who has signed in my presence

DEPONENT

ATTESTED NOTARY PUBLIC (INDIA) 22 JUL 2024

ANNEXURE - 1

Item No. 08

Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 476/2023

Hriday Narayan Mishr

Applicant

Versus

State of U.P.

Respondent

Date of hearing: 03.08.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a letter petition received by Post

ORDER

1. The grievance in the present application is regarding running of brick kiln in the name of M/s Vaibhav Bricks Field in Village Pikora (Tenui), Post Office Tinich, Tehsil Haraiya, District Basti, Uttar Pradesh by Ram Prakash Shukl son of Late Shri Krishan Narayan Shukl resident of Ramvapur, Kharagbahadur Sahi, Police Station Gaur, Tehsil Haraiya, District Basti in violation of siting criteria and environmental norms without obtaining NOC from the concerned authorities causing environmental pollution posing health hazards to the residents of the locality and also affecting the livestock and agriculture.

2. *Prima facie*, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

3. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Basti and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 06.10.2023.

6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the UPPCB and DM, Basti by e-mail for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 03, 2023
Original Application No. 476/2023
DV

टिप्पणी एंव आदेश

पृष्ठ संख्या

जिलाधिकारी महोदया, बस्ती

कृपया **पताका–'क'** पर संलग्न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 476/2023, दिनांक 03.08.2023 में पारित आदेश जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है–

"...2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

3. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Basti and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 06.10.2023.

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय, बस्ती एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती की संयुक्त समिति का गठन किया गया है। उक्त प्रकरण में समिति के सदस्य के रूप में इस कार्यालय से श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक सहायक (मो0 9455975285) को नामित किया जाता है। अतः तदानुसार कृपया प्रशासन स्तर से भी संयुक्त समिति हेतु सम्बन्धित को नामित करना चाहें।

04/8/2023

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

प्रखर कुमार
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बस्ती

CRO को नामित
किया जाता है।
4/8/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक 498998/वृत्त–6/ईट भट्ठा/188/बन्दी आदेश/बस्ती/2023 दिनॉक 8-8-23
पंजीकृत

सेवा मे,

मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड,
ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया,
जनपद–बस्ती।

यह कि मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 15,000 ईंट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि ईट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.07.2023 को किया गया। प्राप्त सूचनानुसार ईट भट्ठे का स्थापना/संचालन वर्ष 2022 है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्ठे के चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम–पिकौरा स्थित है। ईट भट्ठा के चिमनी से पश्चिम दिशा में लगभग 150 मी0 की दूरी पर ग्राम–तेनुई मंदिर चौराहा स्थित है। ईट भट्ठा के चिमनी से उत्तर दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम–इमीलडिहा स्थित है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 01 किमी0 की दूरी पर ग्राम–हरदी स्थित है। ईट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा स्थल (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नही है

यह कि ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयला लगभग 3.2 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्ठे में फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्ठे को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत दिनांक 13.07.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्ठे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

यह कि ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नही किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना उद्योग की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन–स्वास्थ्य एवं व्यापक जन–हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासशोधित) की धारा–31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्ठे मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्ठे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, बस्ती।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती
4. जिला खान अधिकारी, बस्ती।
5. क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

बन्दी की आख्या।

मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हर्रैया, जनपद–बस्ती को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक संख्या–एच 98998 / वृत्त–6 / ईट भट्ठा / 168 / बन्दी आदेश / बस्ती / 2023 दिनांक 08.08.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम द्वारा ओ0ए0 सं0–476 / 2023 (हृदय नारायण मिश्रा) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2023 के अनुपालनार्थ जिला प्रशासन के साथ गठित संयुक्त समिति द्वारा मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हर्रैया, जनपद–बस्ती का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्ठा बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री आज्ञा राम, मुंशी को संयुक्त समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–गौर, तहसील–हर्रैया, जनपद–बस्ती के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के धारा 31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश प्रभावी है। ईट भट्ठे का संचालन राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना न किया जाये।

29/8/23
(जितेन्द्र चौधरी)
लेखपाल

29-8-23
(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

29/8/2023
(प्रखर कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

29/08/2023
(गुलाबचन्द (द्वितीय))
उप जिलाधिकारी
हर्रैया।

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
मुख्य राजस्व अधिकारी
बस्ती।

आज्ञाराम यादव मुंशी वास्ते वैभव ब्रिक फिल्ड पिकौरा तेनुई मन्दिर वाली
29.8.23

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

संदर्भ संख्या : 350/सी-299/वायु/2023

दिनांक : 27.12.2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12 वी0, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः–मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–कप्तानगंज, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती की अद्यतन स्थलीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय मा0एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0सं0–476/2023 हृदय नारायण मिश्रा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में कि संदर्भित ईंट भट्ठा का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा द्वारा दिनांक 27.12.2023 को किया गया। ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्र सं0–98998/वृत्त–6/ईंट भट्ठा/188/बन्दी आदेश/बस्ती/2023 दिनांक 08.08.2023 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 को बन्दी आदेश के अनुपालन में ईंट भट्ठा पूर्णतः बन्द पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त से संबंधित रिसपोन्स माननीय एन0जी0टी0 में अपने स्तर से दाखिल कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

27/12/2023
(डॉ0 टी0एन0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है।

27/12/2023
O/C क्षेत्रीय अधिकारी

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़ेबन, बस्ती–272001
Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.in, ropcbbasti@gmail.com

मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड, ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–कप्तानगंज, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती की अद्यतन स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उक्त संदर्भित शिकायती ईंट भट्ठा का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 27.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा उत्पादनरत नही पाया गया तथा श्री आलोक तिवारी, मुंशी ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. उक्त ईट भट्ठा ग्राम–पिकौरा, पोस्ट–टिनिच, थाना–कप्तानगंज, तहसील–हरैया, जनपद–बस्ती में स्थापित है। ईंट भट्ठा चिमनी के समीप जिओ को–आर्डिनेट्स लैटीट्यूड–26.857649 व लॉगीट्यूड–82.643462 पाया गया।
2. उक्त ईट भट्ठा के चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 500मीटर की दूरी पर ग्राम–पिकौरा स्थित है। ईंट भट्ठा के चिमनी से पश्चिम दिशा में लगभग 150मी0 की दूरी पर ग्राम तेनुई मंदिर चौराहा स्थित है। ईंट भट्ठा के चिमनी से उत्तर दिशा में लगभग 600मी0 की दूरी पर ग्राम–इमीलडिहा स्थित है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 01किमी0 की दूरी पर ग्राम–हरदी स्थित है।
3. उक्त ईट भट्ठा ओवल शेप में 15 पाये का है। निरीक्षण के समय उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचनानुसार ईंट भट्ठा की उत्पादन क्षमता 15000नग ईट/दिन की है।
4. ईट भट्ठे की चिमनी से गैसीय उत्सर्जन के अनुश्रवण हेतु सैम्पलिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नही पायी गयी।
5. ईट भट्ठे द्वारा गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर निरीक्षण के समय स्थापित नही पायी गयी।
6. राज्य बोर्ड से ईट भट्ठे द्वारा स्थापना से पूर्व सहमति(CTE) एवं संचालन हेतु सहमति जल एवं वायु (CTO) प्राप्त नही की गयी है।
7. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठा को राज्य बोर्ड के पत्र सं0–एच97652/वृत्त–6/ईंट भट्ठा/188/का0ब0नो0/बस्ती/2023 दिनांक 13.07.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
8. राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 13.07.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नही दिये जाने के कारण ईट भट्ठो को राज्य बोर्ड के पत्र सं0–एच98998/वृत्त–6/ईंट भट्ठा/188/बन्दी आदेश/बस्ती /2023 दिनांक 08.08.2023 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।
9. उक्त ईट भट्ठा को राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 29.08.2023 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण दिनांक को ईंट भट्ठा बन्द पाया गया था।
10. ईट भट्ठा का निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा पूर्णतः बन्द पाया गया।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

27/12/2023
(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक

27.12.23
(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय 27/12/2023

ANNEXURE - 2

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बस्ती।

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक),
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
फरीद कोर्ट हाऊस कोपरनिकस, मार्ग
नई दिल्ली–110001

संख्या 683/राजस्व सहायक–2 (एल.बी.सी.) दिनांक 03 फरवरी, 2024

विषयः– प्रार्थना पत्र संख्या–476/2023 हृदय नरायण मिश्र बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में नोटिस दिनांक 18.01.2024 के तामिला के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–NGT/Judicial/ OA/476-2023, दिनांक 18.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त नोटिस दिनांक 18.01.2024 एवं आदेश की प्रति ईट भट्टा स्वामी के पुत्र श्री आशीष शुक्ल को वजातखास तामीला कराया गया है। तामिला की प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

अपर जिलाधिकारी,
बस्ती
SDM

सेवा मे, श्रीमान अपर जिलाधिकारी
बस्ती

महोदय, कृपया राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रदीप
कोई प्रकार नई दिल्ली से प्राप्त प्रार्थना पत्र संख्या
476/2023 हृदय नरायण मिश्र बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० के तामिला हेतु मुझे
मे नोटिस दिनांक 18-1-2024 मेसर्स वैभव ब्रिक
प्राप्त कराया गया था। उक्त नोटिस पो० लोनिया तह० हरैया
-फील्ड ग्राम पिकौरा (लेहुई) ईंट-भट्ठे पर किसी के न मिलने के
जनपद -बस्ती पैकोलिया स्थित भट्ठे पर भट्ठा मालिक
कारण उनके का [illegible] तामिल
के पुत्र श्री आशीष शुक्ला
करा कर तामिला की प्रति सादर संप्रेषित है।

अनिलराज लं०

BY SPEEDPOST A.D./EMAIL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 476/2023

Hriday Naryan Mishr Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.

To

1. **M/s Vaibhav Brick Field Village-Pikora (Tenui),**
Post Office-Tinich, Tehsil, Harraiya, Basti-272001 (RESPONDENT No.4)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 09.01.2024 (copy of order, report & petition are enclosed), when the Hon'ble Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

> **"3. Notice be issued to respondent No. 4 again and be served on respondent no. 4 through the District Magistrate, Basti and for this purpose notice issued to it be sent to the District Magistrate, Basti by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.**
> 4. List for further consideration on 28.02.2024."

-******-

2. Now, take further notice that the above application will be listed for further hearing before the Hon'ble Tribunal 28th February, 2024, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 09.01.2024.
3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.
4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 18th January, 2024.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

18/1/2024

Consultant (Judicial), NGT

प्राप्त किये
Ashish Shukla c/o
Ram Prakash Shukla
02-02-24

ANNEXURE - 3

कार्यालय उप जिलाधिकारी हरैया–बस्ती।

संख्या– 296/एस0टी0 दिनांक 20 जुलाई, 2024

जिलाधिकारी,
बस्ती।

महोदय,

कृपया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के नोटिस दिनांक 08.05.224 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो उक्त अधिकरण में हृदय नरायन मिश्र बनाम यूपी राज्य और अन्य में दिनांक 25.07.2024 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है जिसे मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड ग्राम पिकौरा (तेनुई) पोस्ट टिनिच तहसील हरैया, बस्ती को तामीला कराकर तामीला रिपोर्ट प्रेषित कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त नोटिस पत्र को .प्राप्त कराने के संबंध में नायब नाजिर तहसील हरैया से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। श्री रमेश गिरी सामयिक अनुसेवक दिनांक 20.07.2024 को मेसर्स वैभव ब्रिक फील्ड साकिन पिकौरा, पोस्ट टिनिच स्थल पर समय 9.30 बजे गये थे। स्थल पर ईंट भट्ठे के संचालक श्री राम प्रकाश शुक्ल पुत्र स्व0 कृष्ण नरायण अनुपस्थित मिले। इसके बाद इनके निवास स्थान रमवापुर खड़गबहादुरशाही थाना गौर गये, वहां पर भी ईंट भट्ठे के संचालक उपस्थित नहीं मिले। मौके पर उपस्थिति न मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में नोटिस को ईंट भट्ठे के कार्यालय पर चस्पा कर दिया गया है, जिसकी फोटो साथ में संलग्न हैं।

पुनः नायब नाजिर हरैया द्वारा रिपोर्ट दी गयी कि श्री राम रमेश गिरी सामयिक अनुसेवक ने दिनांक 20.07.2024 को समय 03.00 बजे राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उक्त पत्र को तामीला कराने हेतु राम प्रकाश शुक्ल पुत्र स्व0 कृष्ण नरायण शुक्ल ग्राम रमवापुर खड़गबहादुरशाही थाना गौर तहसील हरैया गये थे। काफी इन्तार करने के बाद राम प्रकाश के पुत्र घर पर पहुँचे उनसे वार्ता हुई। वार्ता के दौरान राम प्रकाश शुक्ल के लड़के द्वारा बताया गया कि पिता जी कही बाहर गये हैं। लड़के द्वारा नोटिस लेने से मना कर दिया गया और घर का दरवाजा बन्द कर लिया गया। लेखपाल व नजारत चपरासी द्वारा दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। साथ में फोटो संलग्न है।

अतः नायब नाजिर तहसील हरैया द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त तामीला रिपोर्ट को मूलरूप में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकःयथोपरिं।

Vinod 20/07/24

(विनोद कुमार पाण्डेय)
उप जिलाधिकारी,
हरैया–बस्ती।

OSD
NT श्री विधायक को ... NGT के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु
20/7/24

BY SPEEDPOST A.D./EMAIL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 476/2023

Hriday Narayan Mishr Vs. State of U.P. & Ors.

To

1. **M/s Vaibhav Brick Field**
   Village-Pikora (Tenui), Post Office-Tinich, Tehsil, Harraiya, Basti
   Uttar Pradesh – 272155 ....(Respondent no. 4)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 26.04.2024 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

> ***"6. Notice be issued to respondent No. 4 again and be served on respondent no. 4 through the District Magistrate, Basti and for this purpose notice issued to it be sent to the District Magistrate, Basti by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.***
> ***7. List for further consideration on 25.07.2024"***

-******-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 25th July, 2024, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 26.04.2024.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 08th May, 2024.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*.

8/5/2024

Consultant (Judicial), NGT

NATIONAL GREEN TRIBUNAL (Principal Bench), New Delhi

मुन्शी
(गवाह) अनूप मणि त्रिपाठी S/o शिवसम्पति ग्राम तेन्दुई-चेतसिंह
8840073618

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक-20-7-24 को मैं मा० अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी नोटिस का तामीला कराने हेतु रामप्रकाश शुक्ल S/o स्व० कुबेरनारायण शुक्ल ग्राम- रमवापुर (खड्ग बहादुर शाही) थाना- गौर तहसील- हर्रैया के मूल निवास स्थान पर समय लगभग 3 बजे पुनः पहुँचा काफी इंतजार करने के बाद रामप्रकाश शुक्ल के पुत्र घर पर पहुँचे उनसे वार्ता हुई वार्ता के दौरान रामप्रकाश शुक्ल के लड़के के द्वारा बताया गया कि पिताजी कहीं बाहर गये हैं लड़के के द्वारा नोटिस लेने से मना कर दिया और घर का दरवाजा बन्द कर लिया गया। लेखपाल व [illegible] के चपरासी द्वारा नोटिस की एक प्रति दरवाजे पर चस्पा कर दिया गया

रमेश गिरी
रजि० अनुसेवक
तहसील हर्रैया
जिला बस्ती
20-7-24

[illegible]
20-07-2024

नायब नाजिर
हर्रैया-बस्ती
20-7-24

अनिल प्रसाद हे०का०
ह० नं० ९७४
२०-07-२०२४

रमेश तिवारी
सा० अनुसेवक

BY SPEEDPOST A.D./EMAIL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 476/2023

Hriday Narayan Mishr Vs. State of U.P. & Ors.

To

1. **M/s Vaibhav Brick Field**
   Village-Pikora (Tenui), Post Office-Tinich, Tehsil, Harraiya, Basti
   Uttar Pradesh – 272155 ....(Respondent no. 4)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 26.04.2024 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

> ***"6. Notice be issued to respondent No. 4 again and be served on respondent no. 4 through the District Magistrate, Basti and for this purpose notice issued to it be sent to the District Magistrate, Basti by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.***
> ***7. List for further consideration on 25.07.2024"***

-******-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 25th July, 2024, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 26.04.2024.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 08th May, 2024.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in).*

8/5/2024

Consultant (Judicial), NGT

NATIONAL GREEN TRIBUNAL ★ Principal Bench, New Delhi ★ सत्यमेव जयते

(1) राजकुमार शिवपूजन ग्राम तेन्दुई चेतसिंह

(2) हबीबुल्ला अरवली ग्राम भरवलिया 9325127263

(3) सोनू राम कुमार भरवालिया 9161684530
(गवाह)

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 20-7-24 को मैं माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी नोटिस का तामीला कराने हेतु मैसर्स वैभव ब्रिक फील्ड साकिन पिकौरा पोस्ट ऑफिस हिनिच तहसील हर्रैया बस्ती समय 09:30AM बजे पहुंचा। स्थल पर ईंट भट्ठे के संचालक राम प्रकाश शुक्ल S/o स्व० कृष्ण नरायण अनुपस्थित मिले, जिसके पश्चात मैं इनके निवास स्थान रमवापुर रास गजबहादुरशाही थाना गौर पर गया, वहाँ पर भी ये मौजूद नहीं थे। अनुपस्थिति की स्थिति में इनके अनुपस्थित होने पर स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में नोटिस को ईंट भट्ठे के कार्यालय पर चस्पा किया गया।

रमेश गिरी
सा० अनुसेवक

नायब नाजिर
हर्रैया
20-7-24

अनिरुद्ध ...
ह०स०0274
20-07-2024

"By Email"

National Green Tribunal
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi-110001

No. NGT/Judicial/OA/476-2023/

Dated: 08.05.2024

To

District Magistrate, Basti
Collectorate Basti, U.P.- 272001
Email: dmbas@nic.in

Sub: Service of Notice dated 08.05.2024 to Respondent (R-4 as per Notice Copy enclosed) in Original Application No. 476/2023 titled "Hriday Narayan Mishr Vs State of U.P. & Ors. "-reg.

Sir,

The aforesaid application was listed before the Tribunal on 26.04.2024, when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

> *"6. Notice be issued to respondent No. 4 again and be served on respondent no. 4 through the District Magistrate, Basti and for this purpose notice issued to it be sent to the District Magistrate, Basti by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.*
>
> *7. List for further consideration on 25.07.2024."*

2. In pursuance of the order dated 26.04.2024 passed by Hon'ble Tribunal, notice dated 08.05.2024, is enclosed with the request to serve the said notice to Respondent (R-4 as per Notice Copy enclosed) mentioned in the notice & send the service report.

With regards

8/5/2024

Consultant (Judicial),
National Green Tribunal

Encl: As stated above.

जिलाधिकारी गोपनीय कार्यालय
रजिस्टर नं० 936 - विशेषकार्याधिकारी
दिनांक 10-05-24

2188/STADM

BY SPEEDPOST A.D./EMAIL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 476/2023

Hriday Narayan Mishr Vs. State of U.P. & Ors.

To

1. **M/s Vaibhav Brick Field**
   Village-Pikora (Tenui), Post Office-Tinich, Tehsil, Harraiya, Basti
   Uttar Pradesh – 272155 ....(Respondent no. 4)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 26.04.2024 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

> ***"6. Notice be issued to respondent No. 4 again and be served on respondent no. 4 through the District Magistrate, Basti and for this purpose notice issued to it be sent to the District Magistrate, Basti by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.***
>
> *7. List for further consideration on 25.07.2024"*
>
> ******

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 25th July, 2024, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 26.04.2024.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 08th May, 2024.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in).*

8/5/2024

Consultant (Judicial), NGT

NATIONAL GREEN TRIBUNAL (Principal Bench), New Delhi

1240/LP/2023
17/5/23

(9)

सेवा में,

अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली(एन.जी.टी.) नई दिल्ली

महोदय,

निवेदन है कि हम प्रार्थी हृदय नरायण मिश्र पुत्र स्व० गंगोत्री प्रसाद ग्राम परासडिह पोस्ट गौर तहसील हरैया जिला बस्ती का रहने वाला हूँ हम प्रार्थी के गाँव के बगल में स्थित ईट का भटटा जो मैसर्स वैभव ब्रिक्श फिल्ड ग्राम पिकौरा (तेनूई) पोस्ट टिनिच तहसील हरैया जिला बस्ती जिसके प्रोपराईटर राम प्रकाश शुक्ल पुत्र स्व० कृष्ण नरायण शुक्ल ग्राम रमवापुर, खडगबहादुर साही थाना गौर त० हरैया जिला बस्ती है। इनके द्वारा ईट भटटे का संचालन बिना सहमति के किया जा रहा है जो बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा संचालन किया जा रहा है उपरोक्त ईट भटटे के पूर्व मे स्थित आबादी पश्चिम से प्राथमिक विद्यालय ईट भटटे से लगभग 1.60मी० की दूरी स्थित आम के पेड स्थित है एवं ईट भटटे के बगल से टिनिच से दुबौला मार्ग संचालित होता है जिससे होकर अधिकांश लोग गुजरते है। जो उ0प्र0 ईट भटटा स्थापना हेतु स्थल माप दण्ड नियमावली 2012 के नियम विरूद्ध है। उपरोक्त भटटे का संचालन बिना नियमावली 2012 के अनुपालन किया जा रहा है। जिससे हम ग्रामवासियो व जीव जन्तुओ को पर्यावर्णीय क्षति पहुच रही है जो मानव स्वास्थ के लिये ठीक नही है। एवं हम प्रार्थी का यह भी कहना है कि उपरोक्त ईट भटटे के प्रोपराईटर द्वारा न ही मजदूरो को रहने व न ही उनके लिये पीने का पानी व न ही समुचित आवास मुहैया कराया गया है। उपरोक्त भटटे पर 10 या 12 साल के नाबालिग बच्चों द्वारा लेवर का कार्य किया जा रहा है। और ईट भटटे पर मजदूरो द्वारा अपमिश्रित शराब भी बनाया जा रहा है जिससे उपरोक्त ईट का भटटा शराबियो का अडडा बन गया है। जिससे क्षेत्र वासियो में काफी असन्तोष व डर की भावना व्याप्त है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त ईट भटटे का संचालन तत्काल बंद कराया जाय एवं ईट भटटा नियमावली 2012 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जिससे हम प्रार्थी एवं ग्राम वासियो की स्वास्थ की सुरक्षा हो सके और हम प्रार्थी को न्याय मिल सके।

दिनांक 2-5-23

प्रार्थी
हृदय नरायण मिश्र
हृदय नरायण मिश्र पुत्र
स्व0 गंगोत्री प्रसाद मिश्र
निवासी–ग्राम परासडिह थाना–गौर
तहसील–हरैया, जिला–बस्ती।
मो0नं0–9161876052

798/Hcl
/5/23

National Green Tribunal Bar Association

Room No. 28, NGT Complex, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi - 110001
Tel. : +91-9910811802 E-mail : info@ngtba.org Website : www.ngtba.org

Date : 22/07/2024

Receipt No. : 432

Received with thanks from National Green Tribunal

an amount of Rupees Twenty thousand Only /-

through Cash / Cheque / Bank Draft No. 596663

Dated 22/07/2024 drawn on State bank of India, Basti, DM

on account of NGT Bar Association

Treasurer / Secretary

₹ 20,000

NGT Bar Association

22/07/2024
Recieved
Priyanka
NGT Bar Association

जारी करने वाली शाखा भारतीय स्टेट बैंक
Issuing Branch State Bank of India
कोड़ क्र /CODE No: 00031
Tel No. 05542-282388

A/C Payee

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: SUKFAT
Sr. No: 147186

2 0 0 7 2 0 2 4
D D M M Y Y Y Y

मांगे जानेपर NGT BAR ASSOCIATION**
ON DEMAND PAY
या उनके आदेश पर
OR ORDER

रुपये **RUPEES** Twenty Thousand Only

अदा करें ₹ 20000.00

IOI 000524596663
Name of Applicant
Key: SUKFAT Sr. No: 147186
ZILA ADHIKARI

AMOUNT BELOW 20001(0/5)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

9 8 7 6 5 4 3 2 1

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:NEW DELHI MAIN BRANCH
कोड़ क्र . /CODE No: 00691

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER
2-11495

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

SESHAASAI(D) / CTS-2010

⑈596663⑈ 000002000⑆ 000524⑈ 16